

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे वास्तविक बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा प्रत्येक पुनः विनियोगों को सूचीबद्ध करते हैं तथा यह विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की तुलना में बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तों के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसीलिए ये वित्त लेखों के संपूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अन्दर है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय प्रभारित है। ये यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा निर्देश के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखों का सार

वर्ष 2016-17 के दौरान, 29 अनुदानों/विनियोजनों के विशुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सार तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय के तुलना में मूल/पूरक प्रावधानों की सार रूप में स्थिति

(₹करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय ¹	बचत (-)/अधिकता (+)	लौटाई गई राशि
दत्तमत	I-राजस्व	40,258.63	677.60	40,936.23	35,241.83	(-)5,694.40	शून्य
	II-पूंजीगत	18,029.30	1,516.50	19,545.80	8,421.30	(-)11,124.50	शून्य

¹ ये सकल आंकड़े राजस्व (₹39.00 करोड़) तथा पूंजीगत (₹135.77 करोड़) के तहत हुए व्यय की कमी को वसूली के साथ लेखों में समायोजित न करते हुए दर्शाए गए हैं।

	III-ऋण एवं अग्रिम	87.00	0.00	87.00	76.24	(-)10.76	शुन्य
कुल दत्तमत		58,374.93	2,194.10	60,569.03	43,739.37	(-)16,829.66	शुन्य
दत्तमत	IV-राजस्व	4,776.74	46.93	4,823.67	4,609.35	(-)214.32	शुन्य
	V-पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शुन्य
	VI-लोक ऋण का पुनः भुगतान	9,914.37	5,450.00	15,364.37	17,023.29	(+)16,58.92	शुन्य
कुल दत्तमत		14,691.11	5,496.93	20,188.04	21,632.64	(+)1,444.60	शुन्य
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई है तो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शुन्य
कुल योग		73,066.04	7,691.03	80,757.07	65,372.01	(-)15,385.06	शुन्य

राजस्व क्षेत्र के 24 अनुदान और चार विनियोजन तथा पूँजीगत क्षेत्र के 22 अनुदान के तहत ₹18,281.91 करोड़ की बचत, राजस्व क्षेत्र के पाँच अनुदानों तथा पूँजीगत क्षेत्र के तहत सात अनुदानों व एक विनियोजन के रूप में ₹2,896.86 करोड़ की अधिकता के परिणाम कुल बचत ₹15,385.06 करोड़ हुई।

दत्तमत क्षेत्र में, ₹2,194.10 करोड़ के रूप में अनुपूरक अनुदान आयुक्त सिद्ध हुए, जैसा कि ₹43,739.37 करोड़ भी ₹58,374.93 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। प्रभारित क्षेत्र में, ₹5,496.93 करोड़ का पूरक अनुदान ₹1,444.60 करोड़, अधिक व्यय के संदर्भ में अपर्याप्त सिद्ध हुए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 कुछ विभागों द्वारा विधायी अनुमोदन के कारण व्यय में अधिकता

ऐसे 12 मामलें थे, जहाँ व्यय एक करोड़ से अधिक था या किए गए प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक था। ऐसे मामलों में ₹18,751.25 करोड़ के अनुमोदित प्रावधान के एवज में, ₹21,647.53 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके पश्चात ₹2,896.28 करोड़ का व्यय प्रावधान से अधिक हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.3** में नीचे दिया गया है। वर्ष 2014-15 को छोड़कर वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक इन व्ययों में सतत 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई तथा उक्त अवधि के दौरान, एक अनुदान के संबंध में, व्यय की अधिकता की सीमा 26 प्रतिशत से 627 प्रतिशत तक थी, जैसा कि **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: अनुदान की सूची, जहाँ वर्ष 2012-17 के दौरान, व्यय में सतत् वृद्धि हुई

(₹करोड़ में)

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)					
08-वित्त विभाग	3,768.28 (286%)	2,916.09 (237%)	186.32* (2%)	2,225.82 (26%)	225.89 (627%)

(*कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें, वर्ष 2014-15 को छोड़कर, प्रावधानों से अधिक व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं)

शीर्ष के तहत, हुए सतत् अधिक व्यय के कारणों का राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया (सितंबर 2017)

2.3.2 अधिक व्यय वाले प्रावधानों को नियमित करने की आवश्यकता

तालिका 2.3 वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल वृद्धि के 13 मामलों, 12 अनुदानों एक विनियोग तथा राज्य की समेकित निधि से ₹2,896.86 करोड़ की अधिकृत राशि के सृजन का सार प्रस्तुत करती है:-

तालिका 2.3: वर्ष 2016-17 के दौरान, अधिक व्यय वाले प्रावधानों को नियमित करने की आवश्यकता

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल योग/ विनियोजन	व्यय	अधिक (प्रतिशत)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	03	योजना तथा विकास विभाग	72.71	248.73	176.02 (242)
2	16	लोक निर्माण विभाग	690.57	1,297.89	607.32 (88)
3	19	आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	672.67	690.32	17.65 (03)
4	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,071.88	1,099.66	27.78 (03)
5	28	ग्रामीण विकास विभाग	439.84	534.37	94.53 (21)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			2,947.67	3,870.97	923.30
II-पूंजीगत (दत्तमत)					
6	04	सूचना विभाग	1.50	2.97	1.47 (98)
7	05	लद्दाख कार्य विभाग	197.54	198.85	1.31 (01)

8	08	वित्त विभाग	36.00	261.89	225.89 (627)
9	11	उद्योग तथा वाणिज्यिक विभाग	152.90	233.72	80.82 (53)
10	15	उपभोक्ता मामलें तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	657.22	657.80	0.58 (1)
11	26	मत्स्य पालन विभाग	10.41	13.34	2.93 (28)
12	29	परिवहन विभाग	40.86	42.50	1.64 (04)
कुल (II-पूंजीगत दत्तमत)			1,096.43	1,411.07	314.64
III-पूंजीगत प्रभारित					
13	08	वित्त विभाग	15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल (III-पूंजीगत प्रभारित)			15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल योग (I+II+III)			19,408.47	22,305.33	2,896.86

राजस्व क्षेत्र में, पाँच अनुदानों में ₹923.30 करोड़ का अधिक व्यय था, जबकि पूंजीगत क्षेत्र में सात अनुदानों में ₹314.64 करोड़ की राशि का, तथा ₹1,658.92 करोड़ के एक विनियोजन के कारण, व्यय अधिक था। लोक ऋण के ₹1,658.92 करोड़ का पुनः भुगतान करने के कारण, ₹2,896.86 करोड़ बजट प्रावधान से अधिक व्यय होना एक मुख्य कारण था। इसी तरह, वर्ष 2015-16 के दौरान, लोक ऋण की अदायगी के कारण प्रावधानों में, समान रूप से अधिक व्यय देखा गया। यद्यपि, लोक ऋण तथा ब्याज भुगतानों की अदायगी राज्य सरकार की समेकित निधि पर एक प्रभारित व्यय है, लेकिन फिर भी समेकित निधि से दिए जाने वाले किसी भी आउटगो के लिए विधायी अनुमोदन आवश्यक है।

2.3.3 व्यय की अधिकता को नियमित करना

जम्मू और कश्मीर, संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह राज्य की विधान सभा द्वारा किए गए नियमित अनुदान/विनियोजन पर नजर बनाए रखें। यद्यपि, इस धारा के तहत, व्यय को नियमित करने की कोई समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है, व्यय की अधिकता का नियमन लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा विनियोजन लेखों पर पूर्ण चर्चा होने के बाद किया जाता है। जैसा कि वर्ष 1980-81 से लगातार विनियोजन लेखों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.)

द्वारा चर्चा नहीं की गई है। वर्ष 1980 से 2016 तक ₹1,04,767.43 करोड़ के बढ़ते व्यय को अभी राज्य की विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना है। जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में विस्तृत रूप से बताया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹2,896.86 करोड़ के हुए अतिरिक्त व्यय को शामिल करने के बाद, जो पूर्ववर्ती उप खंडों में सामने आए थे। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹1,07,664.29 करोड़ के स्तर पर पहुंची राशि को राज्य की विधान सभा द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट पुस्तिका के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर कोई व्यय नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया था कि लेखा के 49 मुख्य शीर्षों पर (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में देखें) मूल अनुमानों/पूरक मांग में बिना कोई प्रावधान के और इस प्रभाव के पुनः विनियोजन आदेश के बिना ₹2,174.74 करोड़ का व्यय हुआ।

2.3.5 व्यय की बहुलता

जम्मू और कश्मीर वित्तीय कोड के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की बहुलता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, **तालिका 2.4** में सूचीबद्ध 23 अनुदानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अंतिम तिमाही में मौजूदा वर्ष के लिए ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ। पिछली तिमाही में, व्यय का प्रतिशत, कुल व्यय के संदर्भ में, 35 से 97 प्रतिशत के बीच रहा। पिछली तिमाही में व्यय हुए, कुल ₹52,333.70 करोड़ में से, ₹10 करोड़ से अधिक व्यय होने वाली राशि वाले प्रत्येक मामले में ₹24,988.91 करोड़ की राशि का व्यय 23 अनुदानों में हुआ, जो कुल व्यय का 47.75 प्रतिशत है।

तालिका 2.4: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय की बहुलता के मामलों
(₹करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान हुआ कुल व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
3	योजना एवं विकास विभाग	791.77	511.85	64.65
4	सूचना विभाग	51.31	24.76	48.26
5	लदाख मामले विभाग	763.21	741.44	97.15
6	विद्युत विकास विभाग	8,759.62	3,768.10	43.02
8	वित्त विभाग	26,331.65	12,285.50	46.66

9	संसदीय कार्य विभाग	48.48	16.97	35.00
10	विधि विभाग	196.75	73.67	37.44
11	उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग	452.75	249.39	55.08
12	कृषि विभाग	1,221.34	587.52	48.10
14	राजस्व विभाग	1,001.74	348.47	34.79
15	उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण विभाग	681.51	298.21	43.76
16	लोक निर्माण विभाग	2,717.40	1,534.33	56.46
17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,810.33	1,125.96	40.07
18	सामाजिक कल्याण विभाग	1,194.02	834.00	69.85
19	आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	1,073.88	562.83	52.41
20	पर्यटन विभाग	326.62	189.73	58.09
22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	934.45	504.60	54.00
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,579.36	717.84	45.45
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	180.77	88.78	49.11
25	श्रम एवं रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	144.55	106.68	73.80
26	मत्स्य पालन विभाग	78.23	28.00	35.79
27	उच्चतर शिक्षा विभाग	905.82	330.69	36.51
29	परिवहन विभाग	88.14	59.59	67.61
कुल		52,333.70	24,988.91	47.75

2.3.6 बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 49 मामलों में से प्रत्येक मामले में बचत ₹एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान की 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई (परिशिष्ट 2.1)। कुल बचत ₹18,281.91 करोड़ राशि के प्रति 23 अनुदानों से संबंधित 33 मामलों में प्रकट हुई बचत ₹17,998.85 करोड़² को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

² प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रुपये से अधिक।

तालिका 2.5: ₹50 करोड़ या इससे अधिक अनुदानों सहित बचतों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन के नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचते/ प्रतिशत
I- राजस्व (दत्तमत)						
1	01-सार्वजनिक प्रशासनिक विभाग	310.14	0.00	310.14	239.84	70.30 (23)
2	02-गृह विभाग	4,330.11	261.22	4,591.33	4,360.38	230.95 (5)
3	06-विद्युत विभाग	10,365.56	0.00	10,365.56	8,082.12	2,283.44 (22)
4	07-शिक्षा विभाग	6,419.37	66.27	6,485.64	5,132.66	1,352.98 (21)
5	08-वित्त विभाग	5,650.29	0.00	5,650.29	4,479.18	1,171.11 (21)
6	10-विधि विभाग	319.57	1.68	321.25	166.44	154.81 (48)
7	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	305.69	0.00	305.69	219.04	86.65 (28)
8	12-कृषि विभाग	1,009.95	0.00	1,009.95	934.32	75.63 (7)
9	13-पशुपालन	432.39	0.00	432.39	376.16	56.23 (13)
10	14-राजस्व विभाग	1,182.96	0.00	1,182.96	897.83	285.13 (24)
11	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग	2,433.21	0.00	2,433.21	2,375.49	57.72 (2)
12	18-समाजिक कल्याण विभाग	1,049.39	266.03	1,315.42	1,116.39	199.03 (15)
13	21-वन विभाग	717.54	0.00	717.54	589.91	127.63 (18)
14	22-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	550.59	0.00	550.59	480.64	69.95 (13)
15	24-आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	187.34	12.43	199.77	147.83	51.94 (26)
16	25-श्रम एवं रोजगार, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	105.01	0.00	105.01	50.83	54.18 (52)
17	27-उच्चतर शिक्षा विभाग	878.95	0.00	878.95	673.54	205.41 (23)
कुल-राजस्व (दत्तमत)		36,248.06	607.63	36,855.69	30,322.60	6,533.09
राजस्व (प्रभारित)						
18	08-वित्त विभाग	4,725.37	46.61	4,771.98	4,567.30	204.68(4)
कुल राजस्व (प्रभारित)		4,725.37	46.61	4,771.98	4,567.30	204.68(4)
कुल-I		40,973.43	654.24	41,627.67	34,889.90	6,737.77

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन के नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचते/ प्रतिशत
II-पूँजीगत (दत्तमत)						
19	01-सार्वजनिक प्रशासनिक विभाग	251.38	0.00	251.38	11.85	239.53 (95)
20	02-गृह विभाग	541.75	0.00	541.75	106.31	435.44 (80)
21	03-योजना और विकास विभाग	2436.28	0.00	2436.28	543.05	1893.23 (78)
22	06-विद्युत विकास विभाग	2877.07	0.00	2877.07	699.46	2177.61 (76)
23	07-शिक्षा विभाग	1127.23	0.00	1127.23	312.45	814.78 (72)
24	12-कृषि विभाग	949.94	0.00	949.94	315.12	634.82 (67)
25	14-राजस्व विभाग	906.62	1405.67	2312.29	103.91	2208.38 (96)
26	16-लोक निर्माण विभाग	1856.99	0.00	1856.99	1436.57	420.42 (23)
27	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	603.40	0.00	603.40	434.84	168.56 (28)
28	18-सामाजिक कल्याण विभाग	458.46	10.37	468.83	77.63	391.20 (83)
29	19-आवासीय तथा शहरी विभाग	778.15	0.00	778.15	383.56	394.59 (51)
30	20-पर्यटन विभाग	342.08	30.77	372.85	178.03	194.82 (52)
31	22-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.20	0.00	785.20	453.81	331.39 (42)
32	23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	637.82	0.00	637.82	479.70	158.12 (25)
33	28-ग्रामीण विकास विभाग	1915.38	0.00	1915.38	1117.19	798.19 (42)
कुल-II-पूँजीगत (दत्तमत)		16,467.75	1,446.81	17,914.56	6,653.48	11,261.08
कुल योग- (I+II)		57,441.18	2,101.05	59,542.23	41,543.38	17,998.85

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2017) प्रत्येक अनुदान के प्रति पर्याप्त बचत (उपयोग में कमी) के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया था।

2.3.7 विशेष विभागों द्वारा सतत बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान, दस मामलों में से प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक, कुल अनुदान के दस प्रतिशत या उससे अधिक, राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के तहत तीन अनुदानों और एक विनियोजन और पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में छह अनुदानों में निरन्तर बचत थी, जो तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाते हुए अनुदानों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. और नाम	बचतों की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)						
1	10-विधि विभाग	62.01 (33)	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)
2	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	32.34 (15)	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)
3	21-वन विभाग	69.18 (14)	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)
राजस्व (प्रभारित)						
4	10-कानून	12.54 (39)	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5	06-विद्युत विभाग	170.59 (26)	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2177.61 (76)
6	12-कृषि विभाग	122.09 (31)	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)
7	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	61.42 (19)	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)
8	19-आवासीय और शहरी विकास विभाग	235.05 (31)	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)
9	25-श्रम एवं रोजगार, लेखा सामग्री और मुद्रण विभाग	78.16 (98)	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)
10	28-ग्रामीण विकास विभाग	123.28 (30)	185.13 (48)	1104.58 (60)	496.69 (38)	798.19 (42)

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2017) इन शीर्षों के तहत निरन्तर बचतों के कारणों को नहीं बताया गया।

2.3.8 प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित न किया जाना

राज्य बजट नियम पुस्तिका के अनुसार, व्यय विभागों को बचत के प्रत्याशित होने पर वित्त विभाग को अनुदान और विनियोग या उसके भाग को अभ्यर्पित किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2016-17 के अन्त तक राजस्व क्षेत्र के तहत 24 अनुदान और तीन विनियोग के तथा पूंजीगत क्षेत्र के तहत 22 अनुदान थे जिनमें बचत हुई थी। हालांकि, उस वर्ष के दौरान संबंधित विभाग द्वारा बचतों के पूर्वानुमान में कोई भी अभ्यर्पण नहीं किया गया। इन मामलों में बचतें ₹18,281.91 करोड़ की थी, जिसमें 49 मामलों में ₹18,281.56 करोड़ भी शामिल थे (29 अनुदानों और तीन विनियोग सहित) और जिसमें बचतें एक करोड़ और अधिक की थी। **परिशिष्ट 2.2** में

प्रासांगिक विवरण उल्लेखित किया गया है। निधियों (बचतों) की गैर-अभ्यर्पित से निधियों को अन्य जरूरत मंद विभागों को हस्तांतरित करने के सरकारी अवसरों से वंचित कर दिया।

2.3.9 अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

11 मामलों में, नौ अनुदानों सहित (परिशिष्ट 2.6), ₹1,577.29 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्रत्याशित व्यय के रूप में मूल प्रावधान की अधिकता में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, ₹10,591.71 करोड़ के अंतिम व्यय ₹13,632.85 करोड़ के मूल अनुदान से कम थे। इस प्रकार ₹4,618.43 करोड़ की बचतें, समस्त अनुपूरक प्रावधान से अधिक हो गईं, जो निधि प्रेषण की अपर्याप्त प्रणाली और अतिरिक्त निधियों के अनावश्यक आबंटन को इंगित करता है।

पांच अनुदानों/विभागों (परिशिष्ट 2.7) में ₹65.35 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए, जो ₹710.36 करोड़ के अपूरित सकल अधिशेष व्यय को छोड़कर थे, जोकि ₹2,896.86 करोड़ की कुल अधिकता का 24.52 प्रतिशत बनता है। (तालिका 2.3)

2.3.10 एक करोड़ से अधिक के अनावश्यक बजट आबंटन

33 मुख्य शीर्षों सहित 20 अनुदानों में जहां ₹5,905.51 करोड़ राशि का (परिशिष्ट 2.11) अपने व्यय को पूरा करने के लिए अलग-अलग (विभिन्न) शीर्षों/योजनाओं के तहत प्रावधान किया गया था, परन्तु उस वर्ष के दौरान पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। जहां प्रावधान पर व्यय की अधिकता थी, वहाँ प्रावधान अन्य योजनाओं में पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए था।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न होना

विभागों के नियन्त्रण अधिकारियों को खर्च पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण रखने, इसे बजट अनुदानों में रखे जाने और उनके लेखों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य वित्तीय नियम में अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी लेखा बही में अभिलेखित व्यय का महालेखाकार (ले.व.ह), जम्मू व कश्मीर की लेखा बही में अभिलेखित व्यय के साथ प्रत्येक माह मिलान किया जाए। हालांकि विभाग के आंकड़ों के मिलान न किए जाने को उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में नियमित रूप से इंगित किया जाता है, इस संबंध में नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा की गई चूक निरन्तर बनी रही। वर्ष 2016-17 के दौरान 358 में से 184 नियन्त्रण अधिकारियों ने ₹28,281.07 करोड़ के

व्यय {₹48,097.71 करोड़ के कुल व्यय का 58.80 प्रतिशत (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)} और ₹36,594.12 करोड़ की प्राप्तियों {₹41,978.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 87.07 प्रतिशत (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)} का मिलान किया गया।

2.5 बजटीय प्रक्रियाओं में त्रुटियां

वर्ष 2016-17 में अनुदानों हेतु मांग की जांच से निम्नलिखित विहित खामियों को प्रदर्शित किया:

- ₹19,009.77 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान जो ₹80,757.07 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.53 प्रतिशत होता है उसे नियन्त्रण अधिकारियों के पास विभिन्न अनुदानों मांगों में, शीर्ष-वार/योजना-वार प्रावधानों के विवरण के बिना रखा गया, जो कि राज्य के वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। उस मुद्दे को पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उजागर किया था, परन्तु उपचारात्मक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई है।
- लेखों के पूंजीगत शीर्षों को अनुदानों की मांग में उप-शीर्ष स्तर पर बन्द किया जाता है। अनुदानों के लिए अनुमोदित मांग का वस्तु शीर्ष स्तर तक कोई भी विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

ये कमियां बजटीय प्रक्रिया को अशुद्ध बनाती हैं, इसके कारण विभागीय आकड़ों का महालेखाकर (ले.व.ह) जम्मू व कश्मीर द्वारा समेकित किए गए आंकड़ों के साथ मिलान करना कठिन है। उपरोक्त मामले को राज्य सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया था। इस मामले में आगे की कार्रवाई प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।

2.5.1 बजटीय अनुदानों की चूक को टालने हेतु निधियों का आहरण

जम्मू व कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-I [नियम 2.16 (5) और नियम 2.33] के प्रावधानों के अनुसार खजाने से किसी भी प्रकार की निधि का आहरण, जब तक इसकी आवश्यकता तत्काल संवितरण के लिए न हो, नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, खजाने से निधि आहरण की अनुमति बैंकों में जमा रखने या सिविल जमावेशी के तहत बजटीय अनुदानों को व्यपगत को रोकने के लिए नहीं दी जाती है। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं कि लोक लेखा को समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचने हेतु सरकारी व्यय को सीधे समेकित निधि से किया जाना चाहिए।

लघु शीर्ष 800-अन्य जमा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के अधीन में यह देखा गया कि ₹50.25 करोड़ की राशि के आहरण के पश्चात भी ₹493.80 करोड़ की राशि शेष थी, ₹71.97 करोड़ राशि को लघु शीर्ष में जमा किया गया, जो कि अनावश्यक था। वर्ष के अन्त तक ₹515.52 करोड़ का संचित शेष समेकित निधि के तहत प्रमुख शीर्षों के लेखों से संबंधित रूप में प्रतिलेखित किए जाने चाहिए, जिससे ये मूलतः हस्तांतरित किए जाते थे जैसा कि आगामी वर्ष में, लघु शीर्ष के खातों से आहरण के लिए विधायी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार विनियोजन लेखा क्रियाविधि के द्वारा विधायी संवीक्षा से बचा जाएगा।

यह भी देखा गया कि उक्त नियमों के उल्लंघन में, वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में, कार्यकारी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी (आरएंडबी) डिवीजन, विशेष उप-प्रभाग, डोडा द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों के लिए ₹2.06 करोड़ की राशि का आहरण किया गया तथा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त डिवीजन द्वारा ₹1.65 करोड़ की राशि को लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8443-पीडब्ल्यू जमा) में जमा किया गया।

2.5.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

जम्मू व कश्मीर राज्य बजट नियम पुस्तिका में प्रावधान है कि राज्य का बजट नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभागीय अनुमानों पर आधारित होता है। विभागीय तथा जिला आंकलन, जहाँ तक संभव हो, दोनों सही होने चाहिए, तथा व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारियों का ध्यान उनको मिलना चाहिए, जो इनको प्रस्तुत करते हैं। यह देखा गया था कि वर्ष 2016-17 में संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹8,442 करोड़ कर राजस्व प्रोजेक्शन के तौर पर निर्धारित किए गए थे, जबकि ₹7,819 करोड़ की वास्तविक वसूली की गई, परिणामस्वरूप मूल्य, पूर्वानुमान से सात प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹623 करोड़ के रूप में सामने आया। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 में गैर-कर राजस्व के लिए ₹5,224 करोड़ प्रोजेक्ट के रूप में निर्धारित किए गए थे जबकि ₹4,072 करोड़ की वास्तविक वसूली की गई, परिणाम स्वरूप ₹1,152 करोड़ की कम वसूली हुई जो वास्तविक प्रोजेक्ट के मुकाबले 22 प्रतिशत कम थी। कर तथा गैर-कर राजस्व, प्रोजेक्शन के तुलना में अंतिम पाँच वर्षों के दौरान की गई वास्तविक वसूली तालिका 2.7 में निहित है।

तालिका 2.7: कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के प्रोजेक्शन के तुलना में वास्तविक वसूली की स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	विवरण	राजस्व का संशोधित अनुमान	वास्तविक वसूली	अंतर	अंतर प्रतिशत के रूप में
2012-13	कर राजस्व	5,975	5,832	143	2.39
	गैर-कर राजस्व	2,819	2,160	659	23.38
2013-14	कर राजस्व	6,820	6,273	547	8.02
	गैर-कर राजस्व	3,400	2,870	530	15.59
2014-15	कर राजस्व	6,438	6,334	104	1.62
	गैर-कर राजस्व	3,154	1,978	1,176	37.29
2015-16	कर राजस्व	7,988	7,326	662	8.29
	गैर-कर राजस्व	3,455	3,913	(-)458	(-)13.26
2016-17	कर राजस्व	8,442	7,819	623	7.38
	गैर-कर राजस्व	5,224	4,072	1,152	22.05

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, कर राजस्व की वास्तविक वसूली कर एकत्रित करने के अनुमान से 1.62 प्रतिशत से 8.29 प्रतिशत की भिन्नता में थी, जबकि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान गैर-कर राजस्व के मामले में यह 15.59 प्रतिशत से 37.29 प्रतिशत की भिन्नता में थी। वर्ष 2015-16 में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली अनुमान से 13.26 प्रतिशत अधिक थी, तथा वर्ष 2016-17 के दौरान, वसूली अनुमान से 22.05 प्रतिशत कम की रही।

2.5.3 सहायता अनुदान तथा सहायिकी में, गलत वर्गीकरण

किसी भी संस्थान/निकाय को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, सरकार के राजस्व व्यय के रूप में होना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹1,490.03 करोड़ के सहायता अनुदान में, ₹130.60 करोड़ की सहायिकी, ₹0.23 करोड़ की वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति, तथा ₹7.83 करोड़ वेतन तथा ₹555.25 करोड़ की खरीदी की परिचालन लागत पर, मुख्य पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत, भारत सरकार लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.-2) के पैरा नौ के विपरीत व्यय किए गए, जैसा कि तालिका 2.8 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.8: पूंजीगत शीर्षों के तहत, सहायता अनुदान तथा सहायिकी का संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	सहायता अनुदान	सहायिकी	वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति	वेतन	खरीदी की परिचालन लागत
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (सी.ओ)	47.78	--	--	--	--
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर सी.ओ.	--	0.02	--	--	--
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर सी.ओ.	182.21	--	0.15	0.22	--
4210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर सी.ओ.	13.41	--	--	0.11	--
4215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर सी.ओ.	145.39	--	--	--	--
4217-शहरी विकास पर सी.ओ.	20.88	--	--	--	--
4225-एस.सी, एस.टी, तथा अन्य पिछड़े वर्ग पर सी.ओ.	10.76	--	0.08	0.04	--
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर सी.ओ.	--	--	--	0.35	181.12
4236-पोषण पर सी.ओ.	1.82	--	--	0.11	--
4250-सामाजिक सुरक्षा पर सी.ओ	--	--	--	0.04	--
4401-फसल पैदावार पर सी.ओ.	115.88	114.94	--	1.48	--
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर सी.ओ.	--	0.48	--	--	--
4403-पशुपालन पर सी.ओ.	0.25	0.17	--	--	--
4404-डेयरी विकास पर सी.ओ.	1.02	--	--	--	--
4405-मत्स्य पालन पर सी.ओ.	1.53	--	--	--	--
4406-वानिकी तथा वन्यजीवन पर सी.ओ	12.46	--	--	--	--
4408-खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउस पर सी.ओ.	--	--	--	5.15	374.13
4415-कृषि अनुसंधान पर सी.ओ.	23.25	--	--	--	--
4425-सहयोग पर सी.ओ.	--	1.31	--	--	--

4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सी.ओ.	896.24	--	--	--	--
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर सी.ओ.	--	13.61	--	0.23	--
5425- वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर सी.ओ.	--	0.07	--	--	--
5452-पर्यटन पर सी.ओ.,	--	--	--	0.09	--
5475-सामान्य आर्थिक सेवाओं पर सी.ओ.	17.15	--	--	0.01	--
कुल	1,490.03	130.60	0.23	7.83	555.25

2.6 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

2.6.1 पेंशन का अधिक भुगतान

31 मार्च 2017 के लिए वर्ष के अंत में, कोषागारो/उप-कोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह) द्वारा निरीक्षण किया गया और विभिन्न कारणों, जैसे पेंशन की (अंकगणित की अशुद्धियों) की वजह से गलत गणना करना, पेंशन के रुपांतरित मूल्य के कारण पेंशन शुरू करने में देरी करना, निर्धारित तिथि से परे पेंशन की बढ़ी हुई दर का भुगतान करना, पेंशन के रुपांतरित मूल्य का गैर-समायोजन/अनियमितीकरण तथा विविध कारणों से ₹36.81 लाख की राशि की बढ़ोत्तरी, पेंशन के अधिक भुगतान के रूप में सामने आई।

जहाँ तक पेंशन भुगतान का संबंध है, कोषागार अधिकारी के स्तर पर नियंत्रण सख्त होना चाहिए था।

2.6.2 वेतन एवं लेखा/रक्षा कार्यालयों द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न किया जाना

वह संव्यवहार, जो शुरुआत में राज्य के कोषागारों में संचालित होते हैं, लेकिन पी.ए.ओ./रक्षा कार्यालयों द्वारा समायोज्य होते हैं, उन्हें अंततः संभावित समायोजन के लिए उचंत कर दिया जाता है। मार्च 2017 के अंत में, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, नई दिल्ली, नियंत्रक रक्षा लेखा तथा एफ.ए.ओ. एवं सी.ए.ओ, उत्तर रेलवे की ओर से, राज्य कोषागारों द्वारा क्रमशः ₹173.50 करोड़, ₹5.09 करोड़ तथा ₹1.63 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, तथा जो कोषागारों द्वारा संबंधित तिमाही में वाउचरों की प्रस्तुति न

करने या केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, और रक्षा विभागों से प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, अभी भी राज्य सरकार के लेखों में समायोज्य है।

2.7 चिन्हित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

2.7.1 अनुदान सं. 23 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा 28 ग्रामीण विकास विभाग

बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, दो अनुदानों की जांचों अर्थात् अनुदान सं. 23 और 28 में की गई, जो निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाती है।

2.7.2 अवास्तविक बजट प्रावधान

अनुदान सं. 23 और 28 की लेखापरीक्षा जांच यह बताती है कि राजस्व (दत्तमत) के साथ-साथ पूंजीगत (दत्तमत) दोनों क्षेत्रों में, बहुत ज्यादा बचत/अधिकता थी। जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.9: अनुदान सं. 23 और 28 में बचत/अधिकता

(₹करोड़ में)

अनुदान संख्या	राजस्व (दत्तमत)			पूंजी (दत्तमत)			कुल विनियोजन (राजस्व + पूंजी)	कुल व्यय (राजस्व + पूंजी)
	कुल विनियोजन	व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+) तथा %	कुल विनियोजन	व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+) तथा %		
23	1,071.88	1,099.66	(+)27.78 (3)	637.82	479.70	(-)158.12 (25)	1,709.70	1,579.36
28	439.84	534.37	(+) 94.53 (21)	1,915.38	1,117.19	(-)798.19 (42)	2,355.22	1,651.56
कुल	1,511.72	1,634.03	(+) 122.31 (8)	2,553.20	1,596.89	(-)956.31 (37)	4,064.92	3,230.92

अनुदान सं. 23 और 28 में राजस्व (दत्तमत) क्षेत्र के तहत, ₹27.78 करोड़ और ₹94.53 करोड़ अधिक होने के कारण, कुल ₹122.31 करोड़ (आठ प्रतिशत) उपलब्ध थे। पूंजीगत (दत्तमत) क्षेत्र में, ₹158.12 करोड़ और ₹798.19 करोड़ की बचत होने के कारण, ₹2,553.20 करोड़ बजट/विनियोजन के प्रति, क्रमशः कुल ₹956.31 करोड़ (37 प्रतिशत) उपलब्ध थे। यह दिखाता है कि या तो विभागों ने अवास्तविक बजट प्रावधान बनाए हैं या वर्ष 2016-17 के दौरान, राशि को वितरित नहीं किया गया है और जिसको वर्ष के दौरान लौटाया भी नहीं गया था। राजस्व (दत्तमत) क्षेत्र के तहत बढी हुई प्रतिशत, तीन प्रतिशत से 21 प्रतिशत की बीच रही, तथा पूंजीगत (दत्तमत)

के तहत, बचत 25 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की बीच रही, और कुल मिलाकर 37 प्रतिशत की बचत रही। इसके अलावा, अनुदान सं. 23 व 28 के राजस्व (दत्तमत) सेक्शन के तहत ₹122.31 करोड़ की समग्र बचत थी जिसको नियमित नहीं किया गया था।

2.7.3 प्रावधानों से अधिक होने वाले व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

जम्मू और कश्मीर, के संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित, नियमित अनुदान/ विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुदान संख्या 23 में ₹177.02 करोड़ अधिक हुए व्यय (परिशिष्ट 2.10) तथा अनुदान सं. 28 में, ₹212.03 करोड़ के अधिक हुए व्यय (परिशिष्ट 2.10) को नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

2.7.4 प्रत्याशित बचतों को न लौटाना

राज्य की बजट पुस्तिका के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए यह आवश्यक है कि जब और जैसे भी बचतों का प्रत्याशित अनुमान हो जाए तो, वह वित्त विभाग को अनुदान/विनियोजन या उनके बचे हुए भाग को लौटा दें। वर्ष 2016-17 के अंत में, अनुदान संख्या 23 (परिशिष्ट 2.9) के चार मामलों के संबंध में ₹306.09 करोड़ (30 प्रतिशत) में की बचत हुई तथा अनुदान संख्या 28 (परिशिष्ट 2.9) के 23 मामलों के संबंध में, ₹296.82 करोड़ (22 प्रतिशत) की बचत हुई जो संबंधित विभाग द्वारा लौटाई नहीं गई। इन महत्वपूर्ण बचतों ने भी, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया। यह बचत अधूरे नियंत्रण का संकेत देती है।

2.7.5 बजट प्रावधान के बिना हुआ व्यय

अनुदान संख्या 23 तथा 28 (परिशिष्ट 2.8) के 18 मामलों में या तो मूल अनुदानों में या पूरक अनुदानों में बिना कोई बजटीय प्रावधान किए ₹276.71 करोड़ की राशि का व्यय हुआ। ये सेवाएं, नई सेवाएं या नई सेवाओं का साधन हो सकती है, जिसके लिए कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया।

2.8 स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा

एम.एस.ओ. के पैरा संख्या 2.2.37 तथा 38 के अनुसार, लेखापरीक्षा इस बात को जांचने की सुविधा प्रदान करता है कि क्या सक्षम अधिकारी के पास, व्यय की कुछ श्रेणियों के संबंध में, जैसे क्या व्यय, प्रावधानों पर एक वैध शुल्क है,

जिनसे इनको प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है और क्या संगत अनुदानों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति आदेश में शीर्षों का वर्गीकरण किया गया है या नहीं, को स्वीकृत करने की शक्ति थी या नहीं। स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 20 विभागों की स्वीकृतियों की 457 प्रतियां, वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त हुईं। इन स्वीकृतियों में निम्नलिखित विसंगतियां/कमियां पाई गईं।

2.8.1 अनुदानों की मांग के लिए बिना कोई प्रावधान के स्वीकृतियां जारी करना

विस्तृत शीर्ष, लघु शीर्ष तथा मुख्य शीर्ष आदि के स्तर पर ₹5,580.86 लाख की राशि सहित 41 स्वीकृतियों के लिए, मांग में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2.8.2 स्वीकृतियों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया

₹12,583.06 लाख की राशि के लिए 23 स्वीकृतियों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया।

2.8.3 अधूरा वर्गीकरण

₹8,042.06 लाख की राशि के लिए, 12 स्वीकृतियों में अधूरा वर्गीकरण पाया गया। या तो मांग संख्या, लघु शीर्ष या विस्तृत शीर्ष, रिकार्ड में दर्ज स्वीकृतियों में नहीं पाए गए।

2.8.4 गलत वर्गीकरण

छह स्वीकृतियों में ₹1,100.30 लाख के लिए, गलत वर्गीकरण पाया गया।

2.8.5 वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में, स्वीकृतियां जारी करना

माह फरवरी 2017 से मार्च 2017 के दौरान, 34 स्वीकृतियों के लिए ₹3,642.98 लाख जारी किए गए।

2.9 निष्कर्ष

₹18,281.91 करोड़ की बचत और ₹2,896.86 करोड़ के आधिक्य को समायोजित करके विभिन्न अनुदानों तथा विनियोगों में ₹15,385.06 करोड़ की कुल बचत हुई।

जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 82 के तहत, दिनांक 31 मार्च 2017 तक ₹1,07,664.29 करोड़ के अधिक व्यय को, मार्च 2017 को समाप्त

स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण की आवश्यकता है। गृह, वित्त, विधि, उद्योग तथा वाणिज्यिक, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, वन, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, आतिथ्य तथा शिष्टाचार, परिवहन, उर्जा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवासीय तथा शहरी विभाग, श्रम, स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग तथा ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान, बड़ी मात्रा में बचत की गई। कई मामलों में वर्ष के अंत में माह मार्च में इन अप्रत्याशित बचतों की दूसरे विभागों द्वारा प्रयोग की संभावना को भी न छोड़ते हुए इन निधियों को लौटाया नहीं गया। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, विभागों में बजट पर नियंत्रण न होने को इंगित करते हुए व्यय की बहुलताओं के अतिरिक्त अपर्याप्त प्रावधानों तथा अनावश्यक/अधिक पूरक अनुदानों के भी उदारहण भी थे।

प्रत्याशित बचतों में से आवश्यक क्षेत्रों/कार्यों के लिए पुनः विनियोजन/निधि लौटाने संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं हुए।

कोषागारों की कार्य-प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा उपदान तथा पेंशन के अधिक भुगतान को दिखाती है।

वर्ष के अंत में, मुख्य शीर्ष-8443-सिविल जमा के अधीन, लघु शीर्ष-800-अन्य जमा के अंतर्गत, ₹515.52 करोड़ का संचित शेष है, जो कि समेकित निधि के अंतर्गत लेखा के मुख्य शीर्ष में प्रतिलेखित नहीं किया गया है, जहाँ से इन्हें मूल रूप से हस्तांतरित किया गया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹1,490.03 करोड़ की सहायता अनुदान राशि में ₹130.60 करोड़ की सहायिकी, ₹0.23 करोड़ की वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति, ₹783 करोड़ वेतन के रूप में तथा ₹555.25 करोड़ खरीदी की परिचालन लागत/सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पी.डी.एस. के द्वारा आवयक वस्तुओं की बिक्री के लिए व्यय के मुख्य शीर्ष के तहत वितरित किए गए।

2.10 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है :-

- सरकार को अधिक व्यय के लिए स्पष्टीकरण को समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए तथा विधायी अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहिए,
- सरकार को सभी सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, विशेषकर उन विभागों में जहाँ बचत/अधिकता नियमित रूप से देखी गई हो, और

- राज्य सरकार विधायी जांच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के अंत में संबंधित मुख्य/लघु शीर्षों के पास जमा खातों के अंतर्गत शेष के प्रति लेखन पर विचार कर सकती है।